[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 22 सितम्बर, 2017

अधिसूचना

सं0 27/2017-एकीकृत कर (दर)

सा0का0नि0 (अ)- एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 5 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार इस परिषद की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 1/2017- एकीकृत कर (दर), तारीख 28 जून, 2017, सा.का. नि. 666(अ), तारीख 28 जून, 2017, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ।।, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में, -

(क) अनुसूची I - 5% में,-

(i) क्रम संख्या 11, 13, 25, 45,46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58 और 59 के समक्ष स्तंभ (3) में ''जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो'' शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर ''जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और,-

(क) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या

(ख) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) क्रम सख्या 29 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित किया जाएगा,:-

“29 (क)	0802	अखरोट, चाहे कवचयुक्त या छिलकारहित है या नहीं”;

(iii) क्रम सख्या 33 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि के अंत:स्थापित किया जाएगा,:-

“33 (क)	0813	इमली, शुष्कित” ;

(iv) क्रम सख्या 100 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

“100 क	2106	भुना हुआ चना” ;

(v) क्रम सख्या 105 में, स्तंभ (3) में, ब्रैकेट्स और शब्द, "[जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहूं का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न] ", का लोप किया जायेगा;

(vi) क्रम सख्या 106 में, स्तंभ (3) में, ब्रैकेट्स और शब्दों में, "[जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहूं का चोकर तथा तेलरहित खली भी है, से भिन्न] ", का लोप किया जायेगा;

(vii) क्रम सख्या 107 में, स्तंभ (3) में, शब्दों “ जलीय फीड, जिसके अंतर्गत झींगा फीड और प्रान फीड, कुक्कुट फीड और पशु फीड, जिसके अंतर्गत घास, सुखी घास, पुआल, अनुपूरक एवं दालों की भूसी, सांद्र और योजक, गेहूं का चोकर तथा तेलरहित

खली भी है, से भिन्न” के स्थान पर “कपास के बीज के तेल केक के अलावा” को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(viii) क्रम सख्या 185 में, कॉलम (3) में प्रविष्टि "अगरबत्ती, लोभान, धूपबत्ती, धूप सांभर्नी", को प्रतिस्थापित किया जायेगा;

(ix) क्रम सख्या 198 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

“198 क	4601, 4602	घास, पत्ती या रीड या फाइबर उत्पादों, मट्स, पाउच, पर्स सहित” ;

(x) क्रम सख्या 200 में, स्तंभ (3) में, शब्द “पतंग” के स्थान पर “पतंग, पेपर मैशे वस्तुएं” शब्दों को प्रतिस्थापित किया जायेगा।

(xi) क्रम सख्या 201 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

“201 क	4907	ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्स” ;

(xii) क्रम सख्या 219 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

“219 क	5801	कॉरडरॉय कपड़े
219 ख	5808	साड़ी फाल” ;

(xiii) क्रम सख्या 257 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

“257 क	9404	रूई वाली रजाइयां जिनका प्रति नग बिक्रय मूल्य 1000 रूपये से अधिक न हो” ;

(xiv) क्रम सख्या 259 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

“259 क	9601	कोरल की वस्तुओं से भिन्न कोरल्स जिन पर काम किया गया हो” ;

(xv) क्रम सख्या 260 और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी,:-

“260	9603 [9603 10 00 से भिन्न]	ब्रूमस्टिक्स [उन झाड़ूओं के अलावा जो कि शीकों या अन्य वनस्पति सामग्रियों को बांधकर बनायी गई हो, चाहे इसमें हत्थे लगे हो या नहीं] ” ;

(xvi) क्रम सख्या 263 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

“263 क	कोई भी अध्याय	माला, या प्रार्थना से संबंधित मनकों या हवन समग्री” ;

(ख) अनुसूची II-12% में, -

(i) क्रम सख्या 15 में, स्तंभ (3) में, शब्द, “अखरोट”, का लोप किया जायेगा;

(ii) क्रम सख्या 17 में, स्तंभ (3) में, शब्दों “अध्याय 8 के सूखे फल", के स्थान पर शब्द, अंक और कोष्ठक, " अध्याय 8 के सूखे फल [सूखे इमली के अलावा,]", प्रतिस्थापित किया जाएगा; ”

(iii) क्रम सख्या 45 में, स्तंभ (3) में, शब्दों “संव्यूतित वनस्पति प्रोटीन (सोयाबड़ी) और दालों से बनी बड़ी, जिसके अन्तर्गत मूंगोड़ी ", के स्थान पर शब्द, और ब्रैकेट, " संव्यूतित वनस्पति प्रोटीन (सोयाबड़ी), दालों से बनी बड़ी, जिसके अन्तर्गत मूंगोड़ी, और बैटर जिसमें इडली/डोसा बैटर शामिल है ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(iv) क्रम सख्या 46 में, स्तंभ (3) में, शब्दों “उपभोग के लिए तैयार वैसी ही खाद्य निर्मितियां ", के स्थान पर शब्द, और ब्रैकेट, " उपभोग के लिए तैयार (भुना हुआ चना के अलावा)",को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(ii) (v) क्रम संख्या 49 के स्तंभ (3)में शब्दों “’’जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो’’ शब्दों के स्थान पर शब्द, कोष्ठक और अक्षर ’’जो यूनिट कंटेनर में रखे गए हों और,-

(ग) जिनका कोई पंजीकृत ब्रांड नाम हो, या

(घ) जिनका कोई ऐसा ब्रांड नाम हो जिसपर किसी विधिक न्यायालय में कार्रवाई योग्य दावा किया जा सकता हो या उस पर कोई प्रवर्तनी अधिकार उपलब्ध हो [अनुबंध में दी गई शर्तों के अधीन रहते हुए, उनसे भिन्न जहां के ऐसे ब्रांड नामपर किसी कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया गया हो] ", को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vi) क्रम सख्या 73 में, स्तंभ (3) में, शब्दों “अगरबत्ती, ", के स्थान पर शब्द, " अगरबत्ती, लोबान, धूप बत्ती, धूप, संब्रानी ", प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(vii) क्रम सख्या 85 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

“85 क	4016	रबर बैंड” ;

(viii) क्रम सख्या 92 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी,:-

“92 क	44, 68, 83	लकड़ी, धातु और पत्थर की मूर्तियां, [संगमरमर सहित] [कीमती धातुओं से बने के अलावा] ";" ;

(ix) क्रम सख्या 99 और उससे संबंधित प्रविष्टि के बाद निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, :-

“99 क	4419	लकड़ी के टेबलवेयर और बरतन” ;

(x) क्रम संख्या 128 में, कॉलम (3) में, “वैसे ही हक के दस्तावेज”, के स्थान पर, “वैसे ही हक के दस्तावेज [ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप के अलावा]” शब्दों, और कोष्ठकों को प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xi) क्रम संख्या 147 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, “व्यूतित रुआ, फेब्रिक और शनील फेब्रिक कॉरडरॉय कपड़े के अलावा, शीर्ष सं. 5802 या शीर्ष सं. 5806 से भिन्न”, प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xii) क्रम संख्या 154 में, कॉलम (3) की प्रविष्टि में, “ब्रेड नग में, अंलीकृत झालरें,बिना कशिदाकारी की, बुनी या क्रोशियाकृत से भिन्न, झब्बा, फून्दना और वैसी ही वस्तुएं [साड़ी फॉल के अलावा]”, प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(xiii) क्रम सख्या 171 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित किया जाएगा,:-

“171 (क)	6501	कपड़ा टोपी” ;

(xiv) क्रम संख्या 176 में, कॉलम (3) में, “बलुआ प्रस्तर ईंट”, के बाद, “या पत्थर जटित कार्य” शब्दों, को अंत:स्थापित किया जाएगा;

(xv) क्रम सख्या 176 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा,:-

“176 (क)	6802	मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वज़न, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान” ;

(xvi) क्रम सख्या 177 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा,:-

“177 (क)	6909	चीनी मिट्टी के पात्र या जार और समान प्रकार की वस्तुएं, जिनका उपयोग माल के प्रवहन या उसकी पैकिंग के लिए किया जाता है
177 (ख)	6911	पार्सिलेन या चाइना के खाने-पीना के वर्तन, रसोई के बर्तन, अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और प्रसाधन वस्तुएं
177 (ग)	6912	चीनी मिट्टी के खाने-पीने के वर्तन, रसोई के वर्तन, अन्य गृहस्थी की वस्तुएं और प्रसाधन वस्तुएं, उनके भिन्न जो पार्सिलेन या चाइना की हैं [मिट्टी के घड़े और मृतिका क्ले से भिन्न]
177 (घ)	6913	प्रतिमाएं और अन्य अलंकारी चीनी मिट्टी की वस्तुएं ”;

(xvii) क्रम सख्या 189 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा,:-

“189 (क)	8306	आधार धातु की घंटियां, घंटे और वैसी ही वस्तुएं, जो विद्युत की नहीं हैं ; आधार धातु की लधु प्रतिमाएं और अन्य अलंकरण ; आधार धातु के फोटोग्राफ, चित्र या वैसे ही फ्रेम ; आधार धातु के दर्पण धातु विदरीवेयर ”;

(xviii) क्रम सख्या 195 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा,:-

“195 (क)	8424	स्प्रिंकलर या बूंद-बूंद सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) उपकरणों के लिए नोजल”;

(xix) क्रम सख्या 224 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा,:-

“224 (क)	9404	रुई के रजाई जिनका विक्रय मूल्य 1000 रुपए प्रति नग से अधिक हो”;

(xx) क्रम सख्या 231 के बाद और उससे संबंधित प्रविष्टि के निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा,:-

“231 (क)	9601	कर्मित हाथी दांत, अस्थि, कच्छापकवच, श्रृंग, श्रृंगा, मुक्ता सीप और अन्य प्राणी नक्काशी सामग्री और इन

		सामग्रियों की वस्तुएं , कोरल की वस्तुएं (जिनके अंतर्गत संचन से प्राप्त वस्तुएं भी हैं)";

(ग) अनुसूची **III** - **18**%

(i) क्रम संख्या 23 में कालम (3) में शब्दों और कोष्ठक ''मधुमेह खाना (नमकीन'' शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर ''मधुमेह खाना, कस्टर्ड पाउडर (बटर्स जिसमें इडली/डोसा बैटर शामिल है, नमकीन'' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ii) क्रम संख्या 111 में कालम (3) में शब्दों 'प्लास्टिक तिरपाल'' के स्थान पर शब्दों 'प्लास्टिक तिरपाल, मेडिकल श्रेणी के निस्तारण योग्य निर्जीवाणुक दस्ताने, प्लास्टिक रेनकोट'' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(iii) क्रम संख्या 123 के बाद तथा उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि को अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात्

''123क4016 धान डी-हैस्किंग मशीन के लिए राइस रबर रोल्स";

(iv) क्रम संख्या 140 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि को लोप किया जाएगा ।;

(v) क्रम संख्या 157 में कालम (3) में शब्दों 'ब्रेल पेपर'' के स्थान पर शब्दों 'ब्रेल पेपर, पतगें, पेपर मैशे की वस्तुएं'' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(vi) क्रम संख्या 172 में कालम (3) में शब्दों 'फेल्ट के '' के स्थान पर शब्दों और कोष्ठक 'फेल्ट के(टेक्सटाइल कैप के अलावा),'' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(vii) क्रम संख्याओं 186 और 187 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(viii) क्रम संख्याओं 304 तथा इससे संबंधित प्रविष्टियों का लोप किया जाएगा।

(ix) क्रम संख्या 235 में कालम (3) में शब्दों 'अग्निशामकों से भिन्न, चाहे आवेशित हैं या नहीं'' के स्थान पर शब्दों 'अग्निशामकों से भिन्न, चाहे आवेशित हैं या नहीं तथा बूंद-बूंद सिंचाई (ड्रिप सिंचाई) यंत्र के लिए या स्प्रिंकलर के लिए नोजल '' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(x) क्रम संख्या 384 में कालम (3) में शब्दों और अंकों के स्थान पर '17 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर'' के स्थान पर शब्दों और अंकों '20 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर'' प्रतिस्थापित किया जाएगा

(xi) क्रम संख्या 438 में कालम (3) की प्रविष्टि के लिए ''कायर गद्दे, रुई के तकिये और गद्दे '' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(xii) क्रम संख्या 449 के पश्चात तथा उससे संबंधित प्रविष्टि में निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टि अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

''449क9613 किचन गैस लाइटर्स";

(घ) अनुसूची IV - 28%

(i) क्रम संख्या 9 कॉलम (3), शब्द ''कस्टर्ड पाउडर'' का लोप किया जाएगा ।

(ii) क्रम संख्या 45 में कालम (3) में शब्दों 'प्लास्टिक तिरपाल'' के स्थान पर शब्दों 'प्लास्टिक तिरपाल, मेडिकल श्रेणी के निस्तारण योग्य निर्जीवाणुक दस्ताने, प्लास्टिक रेनकोट'' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(iii)क्रम संख्या 49 में कालम (3) में शब्दों 'इरेजर के अलावा'' शब्दों के स्थान पर 'इरेजर रबरबैंड, धान डी-हैस्किंग मशीन के लिए राइस रबर रोल्स के अलावा'' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(iv)क्रम संख्या 70 में कालम (3) में शब्दों '' अन्य कर्मित प्रस्तर का'' शब्दों और कोष्ठक के स्थान पर '' अन्य कर्मित प्रस्तर का [मूर्तियों, प्रतिमाएं, पेडस्टल्स; उच्च या कम राहतें, पार, जानवरों के आकृति, कटोरे, फूलदान, कप, कैचौ बक्से, लेखन सेट, ऐशट्रे, पेपर वज़न, कृत्रिम फल और पत्ते आदि। पत्थर के अन्य सजावटी सामान]" प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(v) क्रम संख्या 85 शब्दों '' चीनी मिट्टी के पात्र या जार और समान प्रकार की वस्तुएं, जिनका उपयोग माल के प्रवहन या उसकी पैकिंग के लिए किया जाता है'' का लोप किया जाएगा ।

(vi) क्रम संख्या 87 और उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ।

(vii) क्रम संख्या 154, कॉलम (3) शब्दों और अंकों '17 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर'' के स्थान पर शब्दों और अंकों '20 इंच से अनधिक कम्प्यूटर मानीटर'' प्रतिस्थापित किया जाएगा।

(viii) क्रम संख्या 219 तथा उससे संबंधित प्रविष्टि का लोप किया जाएगा ।

(ix) क्रम संख्या 222, कालम (3) शब्दों '' फिलंट और बत्ती से भिन्न'' के स्थान पर शब्दों और कोष्ठक ''(फिलंट और बत्ती से भिन्न या किचन गैस लाइटर) ''प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(ङ) अनुसूची V - 3%

क्रम संख्या 2 में, कॉलम (3) में शब्दों ''अनौद्योगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्तित, बिदलित या निघर्ष रुपित से भिन्न'' शब्दों के स्थान पर ''औद्योगिक या अनौद्योगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्तित, बिदलित या निघर्ष रुपित अनगढ़ डायमंड सहित से भिन्न'' प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(च) अनुसूची VI - 0.25%

क्रम संख्या 1 में कॉलम (3)की प्रविष्टि के स्थान पर औद्योगिक या अनौद्योगिक अकर्मित या साधारण रूप से कर्तित, बिदलित या निघर्ष रुपित अनगढ़ डायमंड सहित'' प्रतिस्थापित किया जाएगा

स्पष्टीकरण, खंड (ii) में निम्नलिखित प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(ii) (क) वाक्यांश "ब्रांड नाम" का अर्थ ब्रांड नाम या व्यापार का नाम है, जिसका अर्थ है, नाम या चिह्न, जैसे प्रतीक, मोनोग्राम, लेबल, हस्ताक्षर या आविष्कार शब्द या लेखन जिसका उद्देश्य इस उद्देश्य के लिए निर्दिष्ट माल के संबंध में उपयोग किया जाता है। या ऐसे व्यक्ति के पहचान के किसी भी संकेत के बिना या ऐसे नाम या चिह्न का उपयोग करने वाले कुछ व्यक्ति के बीच व्यापार के क्रम में एक कनेक्शन को इंगित करने के लिए या ऐसा करने के लिए।

(ख) "पंजीकृत ब्रांड नाम" वाक्यांश का अर्थ है, -

(क) ट्रेड मार्क एक्ट, 1 999 के तहत 15 मई 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड, चाहे ब्रांड को बाद में पंजीकरण रद्द कर दिया गया हो या नहीं।

(ख) कॉपीराइट अधिनियम, 1 9 57 (1 9 57 का 14) के तहत 15 मई 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड;

(ग) किसी भी अन्य देश में किसी भी कानून के तहत 15 मई, 2017 को पंजीकृत एक ब्रांड

(ग) अनुच्छेद 2 के बाद, निम्नलिखित अनुबंध को डाला जाएगा, अर्थात्: -

“अनुबंध

किसी ब्रांड नाम पर कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनी अधिकार के परित्याग के लिए

(क) ऐसा व्यक्ति जो कि यूनिट कंटेनर में ऐसे माल की पैकिंग करा रहा हो,जिसे पर ब्रांड नेम छपा हो, यथास्थिति, क्षेत्राधिकार प्राप्त केन्द्रीय कर आयुक्त या क्षेत्राधिकार प्राप्त राज्य कर आयुक्त के समक्ष, इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा कि वह स्पष्टीकरण(ii) (क) में यथापरिभाषित ऐसे ब्रांड नाम पर अपने कार्रवाई योग्य दावे या अपरिवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर रहा है।

(ख) ऐसा व्यक्ति जो कि किसी यूनिट कंटैनरों में ऐसे माल की पैकिग करा रहा हो ,जिस पर, प्रत्येक यूनिट कंटेनर पर ब्रांड नाम छपा हो, अंग्रेजी और स्थानीय दोनों ही भाषाओं में अमिट स्याही में यह मुद्रित कराएगा कि ऐसे यूनिट कंटैनर पर मुद्रित स्प्ष्टीकरण (ii) (क) में यथापरिभाषित ब्रांड नाम के संबंध में उसने कार्रवाई योग्य दावे या प्रवर्तनीय अधिकार का स्वेच्छा से परित्याग कर दिया है ।

[फा सं.354/117/2017-टीआरयू-भाग II]

(मोहित तिवारी)

अवर सचिव भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं0 1/2017 - एकीकृत (दर) दिनांक 28 जून, 2017 को सा0का0नि0 666(अ) दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 19/2017- एकीकृत कर(दर) दिनांक 18 अगस्त, 2017, जिसे साकानि 1033 (अ) दिनांक 18 अगस्त, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के, भाग ।।,खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है ।